

कार्यालय निदेशक स्कूली शिक्षा हरियाणा कडीग्र

आदेश क्रमांक 23/209-99 दि 11.28

दिनांक कडीग्र 13-9-99

हम मुन्नाल विद्या मन्दिर स्कूल सिधरावली, मुहगांव को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10-1 2 स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

- 1 विद्यालय को वर्ष 1999-2000 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।
- 2 विद्यालय के पुनर्जांच आगामी वर्ष 2000-2001 में अस्थाई मान्यता प्राप्त करेंगे अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जायेगा।
- 3 हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1999 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करेंगे तथा इसके तहत जो भी नियम वही विद्यालय उनका पालन करेंगे अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।
- 4 विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली विभाग की विद्यार्थियों की पालना करेंगे।

प्रधान शिक्षा अधिकारी
निदेशक स्कूली शिक्षा हरियाणा

पृष्ठोपरी क्रमांक सम दिनांक 15-9-99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवायक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी मुहगांव को उनके पत्र क्रमांक जी-2/99/165 दिनांक 27-8-99 के तदर्थ में।
- 2 मुख्य अधिकारी हमस मुन्नाल विद्या मन्दिर स्कूल सिधरावली, मुहगांव।
- 3 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिधरावली कम्प्यूटरी सेन्टर प्रोत बिहार नई दिल्ली 110092

अधीनस्थ शिक्षक
स्वीकृत निदेशक स्कूली शिक्षा हरियाणा

Self-attested
Anita

Principal
Raman Munjal Vidya Mandir
Sidhrawali, Gurugram

Manager
Raman Munjal Vidya Mandir
of Raman Kant Munjal Foundation
67, Km Stone, Delhi-Jaipur Highway
Sidhrawali, Gurugram-122413 (Haryana)